2021 का विधेयक संख्यांक 119

[दि सेंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3क का संशोधन ।

2009 का 25

2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3क में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 3ङ का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम में, धारा 3घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ।

"3ङ. सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो एक निगमित निकाय होगा, जिसकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पर होगा, जैसा कि इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) क्रम सं. 8 और 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"8.	जम्मू-कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का कश्मीर प्रभाग ।
9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का जम्मू प्रभाग ।"।

(ii) क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"12क.	लद्दाख	सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, विभिन्न राज्यों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उनको निगमित करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. वर्तमान में, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है । इसलिए सरकार ने लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है, जिससे उच्चतर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जा सके तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को सुकर बनाया जा सके तथा अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके । इससे आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी ।

3. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए है, जिससे लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में "सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध किया जा सके ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 अगस्त, 2021

धर्मेन्द्र प्रधान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में एक नई धारा 3ङ अंत:स्थापित करने के लिए है, जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात, निगमित निकाय के रूप में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करती है, जिसकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पर है ।

2. विश्वविद्यालय के लिए अवसंरचना, दो चरणों में सात वर्ष के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय उपबंध के साथ, स्थापित की जाएगी । चार वर्षों के प्रथम चरण में व्यय लगभग 400 करोड़ रुपए होगा और शेष तीन वर्षों के दूसरे चरण में व्यय लगभग 350 करोड़ रुपए होगा । उक्त व्यय, शिक्षा मंत्रालय के बजटीय उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

*   *   *   *   *

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध >

3क. (1) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन स्थापित जम्मू-कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात होगा और उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर खंड तक सीमित होगी ।

(2) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू खंड तक विस्तारित होगी ।

(3) जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू-कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आस्तियों और दायित्वों के रूप में अंतरित हो जाएंगी ।

(4) जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा की गई समझी जाएगी ।

(5) जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू-कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित कोई वाद या जारी की गई विधिक कार्यवाही जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया या जारी की गई समझी जाएगी ।

*   *   *   *   *

पहली अनुसूची

[धारा 3(4) देखें]

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
*	*	*	*
8.	जम्मू-कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर राज्य का कश्मीर प्रभाग ।
9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू प्रभाग ।

*   *   *   *   *